न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No 2025/55
दायरा तिथि : 10.01.2025
आदेश तिथि: 25-04-2025

प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. दिलीप कुमार पुत्र मनाराम जाति मेघवाल
2. मंजुला पुत्री मनाराम जाति मेघवाल
3. लालाराम पुत्र मनाराम जाति मेघवाल
4. शांतिदेवी पत्नी मनाराम जाति मेघवाल
5. शोभादेवी पुत्र मनाराम जाति मेघवाल
6. सकाराम पुत्र वनाराम जाति सरगरा
7. सोहनलाल पुत्र हंसाराम जाति सरगरा निवासीगण पादरला तहसील बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 25-04-2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम पादरला स्थित भूमि खसरा नंबर 350 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 354 रकबा 0.7000 हैक्टर की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के बावजुद अप्रार्थीगण न्यायालय द्वारा नियत पेशियों पर आदिनांक तक न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पादरला स्थित भूमि खसरा नंबर 350 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 354 रकबा 0.7000 हैक्टर की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदारान द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बना लिये है तथा मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**
(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या
(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पादरला स्थित भूमि खसरा नंबर 350 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 354 रकबा 0.7000 हैक्टर कीभूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, पादरला की मौका फर्द दिनांक 06.12.2024 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदारान द्वारा मकान बना लिये है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

राजस्व प्रकरण GCMS No 2025/55

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम दिलीप कुमार वगैरा वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पादरला स्थित भूमि खसरा नंबर 350 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 352 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 354 रकबा 0.7000 हैक्टर को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, पादरला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

(श्री दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 25-04-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली